2018/00103

015

फार्म नं. 3

फर्द अहकाम

(नियम 26)

स्वीकार

APP-A
Crim-1

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) मुकाम ब्यूरेर शिविर अटल सेवा केन्द्र गोपालदास बनाम बीजाराम - आदर्श दूधा

किस्म मुकदमा राजस्व वाद नं. 34 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/5/18 18.05.2018	**निर्णय** वादीगण गोपालदास किशनलाल मोहनलाल पिराराम बींजाराम जाति कुम्हार निवासी मंगनोणी कुम्हारो की ढाणी दूंढा की और से उनके अधिवक्ता श्री सुनिल मेराजा द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया, जो वाद जांच पंजीयन किया गया। लोक अदालत की भावना से अटल सेवा केन्द्र आदर्श दूंढा मे वादीगण एवं प्रतिवादी बींजाराम पुत्र स्व. लछाराम जाति कुम्हार निवासी मंगनोणी कुम्हारों की ढाणी उपस्थिति मे उपस्थित हुआ। दोनों पक्षों की पहचान श्री सुनिल मेराजा अधिवक्ता वादीगण एव श्री अशोक कुमार भू-अभिलेख निरीक्षक तहसील हाजा बाड़मेर द्वारा दी गई। दोनों पक्षो को मजमे आम मे सुना गया। वादीगण एवं प्रतिवादी मे पिता-पुत्र का रिश्ता है और हिन्दु सयुक्त परिवार है। पैतृक भूमि मे खातेदारी अधिकारो की घोषणा हेतु दोनों पक्ष सहमत है। प्रतिवादी बींजाराम ने अपने जवाब में वादीगण को उनके जायन्दा पुत्र होना स्वीकार किया है तथा उसकी खातेदारी भूमि मे वादीगण का हिस्सा घोषित कर सहखातेदार घोषित किये जाने की सहमति व्यक्त की है। वाद पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम नागनेचियान दूंढा पटवार क्षैत्र कवास मे स्थित खसरा संख्या 742/540 रकबा 66.07 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी खातेदार बींजाराम पुत्र लछाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर प्रत्येक का 1/4-1/4 हिस्सा खातेदारी मे घोषित किया जाकर प्रत्येक का सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर	बीजाराम पहचानकर्ता (अशोक कुमार भू. अभि. नि.)

किशनलाल

मोहनलाल
पहचानकर्ता

Scanned by CamScanner

तारीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व वाद संख्या 34/2018 अनवान गोपालदास बनाम बींजाराम**
न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर	जाता है। तहसीलदार तदनुसार समस्त राजस्व अभिलेख में अमल दरामद सुनिश्चित करावे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। निर्णय मजमे आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल-सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर, (एसडीओ) बाड़मेर

Scanned by CamScanner